

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

कैलाश वाई

बनाम

गुलाब वाई

किस्म मुकदमा

वाद

नं०

७०

सन् २०२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
19 ⁰⁹ / ₂₀₂₄	पत्रावली पैशा हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 09 व 11 के कायम मुकाम हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 04 से 07 की ओर से वकील प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा। वकील प्रतिवादी को ₹ 250/- कोर्ट पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 01 के नोटिस प्रोसेस नये पते पर भ्रम कर जरिये रजि. AD पेश किये जो जारी किये गये। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम व जवाब प्रतिवादी सं. 04 से 07 व वइन्तजार नोटिस तामील प्रतिवादी सं. 01 दिनांक 17/10/2024 को पैशा है। S.D.O.	
17 ¹⁰ / ₂₀₂₄	पत्रावली पैशा हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 09 व 11 के कायम मुकाम हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 04 से 07 की ओर से वकील प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा। वकील प्रतिवादी को ₹ 250/- कोर्ट पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी सं. 01 के तामील अप्रप्त। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम व जवाब प्रतिवादी सं. 04 से 07 व वइन्तजार नोटिस तामील प्रतिवादी सं. 01 दिनांक 19/11/2024 को पैशा है। S.D.O.	
19 ¹¹ / ₂₀₂₄	पत्रावली पैशा हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को प्रतिवादी सं. 01 के नोटिस प्रोसेस	

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

कुलाश बाई वहीरू

बनाम गुलाब बाई वहीरू

किस्म मुकदमा..... वाद

नं० 70/2022

सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>प्रस्तुत करने के पूर्व में दिनांक 10.01.2023 से अब तक कुल 18 अतसर दिये जाने के बावजूद भी वकील वादी नोटिस प्रोसेस प्रस्तुत करने में असफल रहे। इससे प्रतीत होता है कि वकील वादी वाद-पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वकील वादी का वाद-पत्र इसी स्तर पर CPC के (O)9(R)5 के अन्तर्गत वकील वादी द्वारा नये समन लाने में असफल रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली कुंसेल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	